भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *275

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है।

.....

जल संरक्षण से संबंधित पहल

***275. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:**

डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश में जल संरक्षण से सम्बन्धित की जा रही पहलों की वर्तमान स्थिति और प्रगति क्या है; और

(ख) जल प्रबंधन और संधारणीयता से सम्बन्धित प्रयासों को और बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी योजनाओं या कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"जल संरक्षण से संबंधित पहल" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *275 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार, राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके प्रयासों को पूरा करती है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता जल को संरक्षित करना है। सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों सहित पूरे देश में जल संरक्षण की कार्यान्वित अधिकतर योजनाएं और उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार है:

i. भारत सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) नामक एक फ्लैगशिप योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट) घटक के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं के प्रावधान किए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण को सर्वाधित निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता से संबंधित अनुदान दिया जाता है जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन में किया जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान को कार्यान्वित कर रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन-2023, जल शक्ति अभियान की श्रृंखला में ऐसा चौथा अभियान है जिसे दिनांक 04.03.2023 से 30.11.2023 तक मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों सहित देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में कार्यान्वित किया गया था। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग के अनुदान आदि, राज्य सरकार की योजनाओं, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (कोरपोरेट सोशल रिसपोन्सबिलिटी) निधियों आदि का एक अभिसरण है। देश भर में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत किए गए कार्यों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है और जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में पूरे किए गए कार्यों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

ii. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), देश के सभी सांविधिक कस्बों को शामिल करते हुए अमृत 2.0 को दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने और शहरों में जल को संरक्षित करने के लिए किया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, बरसाती पानी (स्टार्म वाटर ड्रेन्स) को जल निकायों तक (जिसमें सीवेज/बहिस्राव नही जाता है) ले जाते हुए वर्षा जल संचयन वाली परियोजनाओं का स्वीकार्य घटक माना जाता है। जलभृत प्रबंधन योजनाएं तैयार करते हुए शहरों का लक्ष्य शहर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार लाने का एक रोडमैप विकसित करके भूजल पुनर्भरण में बढ़ोत्तरी की रणनीति तैयार करना है। आईईसी अभियान के माध्यम से, वर्षा जल संचयन जैसे जल संरक्षण प्रणालियों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।

iii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान देते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपाय करने के लिए

राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जैसे दिल्ली के एकीकृत भवन उप-नियम (यूनीफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 तैयार किए हैं।

iv. भारत सरकार समुदाय के नेतृत्व में सतत भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से सात राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में जल की कमी वाले 229 ब्लॉकों के अंतर्गत 8213 ग्राम पंचायतों के चिन्हित क्षेत्रों में अटल भूजल योजना (अटल जल), केंद्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना को दिनांक 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

v. सरकार, वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र में विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना, निरंतर जल संरक्षण प्रणालियों उपयोग में लाना आदि है। कृषि और किसान कल्याण विभाग प्रति बूंद अधिक फसल योजना को कार्यान्वित कर रहा है जो देश में वर्ष 2015-16 से निरंतर चल रही है। सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से प्रति बूंद अधिक फसल योजना, मुख्य रूप से खेतों में जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है।

vi. जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2022 को राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना एक सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है जिससे कि देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योगों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाया जा सके।

vii. मिशन अमृत सरोवर को 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए जल संचयन और जल संरक्षण करना है। मिशन के अंतर्गत, देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरूद्धार का प्रावधान किया गया है। अब तक, अमृत सरोवर के चिन्हित 109787 स्थलों की कुल संख्या में से 68664 स्थलों का कार्य पूरा किया जा चुका है।

viii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण-2020 एक मास्टर प्लान तैयार किया है जो देश की विभिन्न भू-परिस्थितियों की विभिन्न संरचनाओं को दर्शाते हुए उनकी अनुमानित लागत सहित एक वृहद स्तर की योजना है। मास्टर प्लान के अंतर्गत देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिसमें पश्चिम बंगाल में 42 हजार कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं और मध्य प्रदेश में 7.2 लाख संरचनाएं शामिल हैं जिससे कि 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का दोहन किया जा सके।

ix. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों सहित लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाओं को तैयार किया गया है जिन्हें कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल रहते हैं।

x. सीजीडब्ल्यूबी, प्रत्येक वर्ष भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन करता है जो देश भर में आकलन की गई यूनिटों को उनके भूजल निष्कर्षण स्तरों के आधार पर सुरक्षित, अर्ध-गंभीर, गंभीर या अति-दोहित सहित विभिन्न श्रेणिओं में वर्गीकृत करने के एक आधार के रूप में कार्य करता है। पूरे देश में, इस तरह का वर्गीकरण स्थायी भूजल प्रबंधन के उद्देश्य से नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

xi. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे वर्षा/सतही जल संरक्षण के लिए वर्ष 2011-12 से राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जल धारो-जल भारो अभियान का कार्यान्वयन कर रही है और लगभग 4 लाख जल निकायों/टैंकों/इसके जैसी अन्य संरचनाओं आदि का सृजन/नवीकरण/पुनरुद्धार किया है। वे जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई को भी बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने 1,155 ड्रिप/स्प्रिंकलर योजनाएं संस्थापित की हैं जिसकी सिंचाई क्षमता 5,800 हेक्टेयर है। इसके अलावा, अन्य राज्य सरकारें भी मुख्य रूप से जल संरक्षण की अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं जिनमें पानी बचाओ पैसा कमाओ (पंजाब), मेरा पानी, मेरी विरासत (हरियाणा), मिशन काकतीय (तेलंगाना), जल जीवन हरियाली योजना (बिहार), पानी पंचायत (ओडिशा), सुजलाम सुफलाम (गुजरात), जल युक्त शिविर (महाराष्ट्र), पश्चिम बंगाल त्वरित लघु सिंचाई परियोजना विकास (पश्चिम बंगाल), समुदाय आधारित सूक्ष्म सिंचाई (केरल) आदि योजनाएं शामिल हैं।

उपर्युक्त पहलों के कार्यान्वयन के साथ, वर्ष 2020 और 2023 में सक्रिय भूजल आकलन रिपोर्ट की तुलना से निम्नलिखित का पता चलता है:

क्र.सं.	**मानदंड**	**वर्ष 2020**	**वर्ष 2023**	**यूनिटों में बढ़त/गिरावट**
1.	अति-दोहित	1114 यूनिट	736 यूनिट	378 यूनिटों की गिरावट
2.	गंभीर	270 यूनिट	199 यूनिट	71 यूनिटों की गिरावट
3.	अर्ध-गंभीर	1057 यूनिट	698 यूनिट	359 यूनिटों की गिरावट
4.	सुरक्षित	4427 यूनिट	4793 यूनिट	366 यूनिटों की गिरावट
5.	लवणता	97 यूनिट	127 यूनिट	30 यूनिटों की गिरावट

उपर्युक्त के अलावा, जल शक्ति अभियान के वर्ष 2019 से 2023 (अब तक) के कार्यान्वयन से निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गई हैं:

- 1.00 करोड़ से अधिक जल संबंधी कार्य
- लगभग 130 करोड़ पौधे लगाए गए (गहन वनीकरण)
- 1.30 लाख से अधिक किसान मेले/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- लगभग 25 लाख जल निकायों की गणना की गई।
- 661 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए।
- 519 जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई।

****

अनुलग्नक-I

"जल संरक्षण से संबंधित पहल" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *275 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जल शक्ति अभियान: कैच दा रेन के तहत वर्ष-वार प्रगति

		जेएसए: सीटीआर 2021		जेएसए: सीटीआर 2022		जेएसए: सीटीआर 2023 (दिनांक 04.03.2023 से01.12.2023 तक)	
क्र.सं.	**कार्यकलाप**	**किए गए कुल कार्य**	**किया गया खर्च* (करोड़ रूपए में)**	**किए गए कुल कार्य**	**किया गया खर्च * (करोड़ रूपए में)**	**किए गए कुल कार्य**	**किया गया खर्च * (करोड़ रूपए में)**
1	जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन	16,27,677	24,592	12,40,861	8,175	10,59,403	6,187
2	परम्परागत जल निकायों का नवीनीकरण	2,97,666	10,017	2,67,583	4,327	2,53,855	3,147
3	पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएँ	8,32,596	1,267	8,74,449	345	5,88,683	228
4	वाटरशेड विकास	19,18,913	20,997	16,27,799	8,338	12,41,131	5,446
	जल से संबंधित कुल कार्य	**46,76,852**	**56,873**	**40,10,692**	**21,185**	**31,43,072**	**15,008**
5	सघन वनीकरण	36,76,60,580	8,793	80,65,52,158	2,664	6,61,97,656	1,554
6	प्रशिक्षण कार्यक्रम/किसान मेलें	43,690	-	1,73,864	-	54,271	-
	कुल खर्च		**65,666**		**23,849**		**16,562**

* यह व्यय केवल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) का है।

****

अनुलग्नक-।।

"जल संरक्षण से संबंधित पहल" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *275 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जेएसए: सीटीआर के अंतर्गत मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में पूर्ण कार्य

जल शक्ति अभियान: कैच दा रेन							
कार्यकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट, **मध्य प्रदेश** (दिनांक 22.03.2021 से 15.12.2023 तक की स्थिति)							
क्र.सं.	**वर्ष**	**जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन**	**पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण**	**पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएँ**	**वाटरशेड विकास**	**सघन वनीकरण**	**प्रशिक्षण कार्यक्रम/ किसान मेलें**
1.	2023	36487	7031	15751	39284	15422	15
2.	2022	229649	6942	25909	65403	512076	1297
3.	2021	106484	3812	19225	97822	1513665	2805
कुल		372620	17785	60885	202509	2041163	4117
जल से संबंधित कुल कार्य		**6,53,799**					

–

जल शक्ति अभियान: कैच दा रेन							
कार्यकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट, **पश्चिम बंगाल** (दिनांक 22.03.2021 से 15.12.2023 तक की स्थिति)							
क्र.सं.	**वर्ष**	**जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन**	**पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण**	**पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएँ**	**वाटरशेड विकास**	**सघन वनीकरण**	**प्रशिक्षण कार्यक्रम/ किसान मेलें**
1.	2023	1006	264	18	168	867	793
2.	2022	14247	5924	947	6006	38674	511
3.	2021	81146	38463	33948	46351	2271177	151
कुल		96399	44651	34913	52525	2310718	1455
जल से संबंधित कुल कार्य		**2,28,488**					

******